Ref. No- G002455/OA No. 521/2022/2022 dated: 23/11/2022

From,

T. N. Singh,
Regional Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Sonbhadra.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: - In the matter of Original Application No. 521/2022 In Re: Sampurna Nand Versus State of U.P.

Sir,

The above noted case is listed on 25.11.2022. Vide its order dated 01.09.2022 this Hon'ble Tribunal has passed the following direction:-

3. ...... In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Regional Office, MoEF & CC, Lucknow, Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, if any, verify the factual position, take appropriate remedial action by following due process of law and submit its report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

In compliance of the order dated 01.09.2022 a factual and action taken report has to be submitted by the Joint Committee, constituted by this Hon'ble Tribunal, after verifying the factual position of the grievance.

It is most respectfully submitted that due to various reasons, the said report has not been completed hence a request is be made to this Hon'ble Tribunal that may very kindly and graciously be pleased to defer the proceedings by three weeks so that compliance status and factual action taken report be submitted for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

Lucknow
Dated: 23.11.2022

Yours Sincerely,

23/11/2022

(T. N. Singh)
Regional Officer

दिनांक–01.09.2022 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 521/2022, सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में नामित सदस्यों की वीडियों कान्फ्रेसिंग से हुई बैठक की कार्यवृत्त।

मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 नं0 **521/2022, सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य** में पारित आदेश दिनांक–**01.09.2022** के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के साथ दिनांक–**15.11.2022** को अपराह्न 03:30 बजे वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ऑनलाईन बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें योजित याचिका में उठाये गये बिन्दुओं तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के आलोक में चर्चा की गयी। उक्त चर्चा में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि पूर्व में सम्बंधित विभाग के नामित प्रतिनिधियों को स्थलीय निरीक्षण करने एवं स्थलीय निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के आधार पर आख्या तैयार कर मा0 एन0जी0टी0 में प्रेषित किया जाना है, जिसको अग्रिम तिथि दिनांक–25.11.2022 के पूर्व प्रेषित करने के निर्देश है। पूर्व में नोडल अधिकारी द्वारा समस्त सदस्यों से दूरभाष पर वार्ता के अनुरूप दिनांक–21.10.2022 को स्थलीय निरीक्षण हेतु उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया था तथा उक्त के उपरान्त दिनांक–09.11.2022 से 11.11.2022 को किये जाने हेतु नियत की गयी थी, उक्त स्थलीय निरीक्षण जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त हो गया पुनः दिनांक–16.11.2022 से दिनांक–18.11.2022 नियत की गयी थी वह भी किन्ही कारणों से संपादित नहीं हो पायी।

उपरोक्त के आलोक में अग्रिम स्थलीय निरीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण में विचारणीय बिन्दुओं पर चर्चा किये जाने हेतु वीडियों कान्फ्रेसिंग का आयोजन किया गया था, जिसके उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अग्रिम निरीक्षण दिनांक–23.11.2022, 24.11.2022 एवं 25.11.2022 को सभी सदस्य स्थलीय निरीक्षण हेतु उपस्थित रहेगे तथा निरीक्षण के बिन्दुओं पर आवश्यक डाक्यूमेंट के अनुरूप खनन पट्टो का निरीक्षण संपादित करते हुए आख्या यथाशीघ्र मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित कर दी जाये, जिससे कि अनावश्यक विलम्ब न हो।

जिला खनन अधिकारी, मिर्जापुर को उपरोक्त निरीक्षण में खनन पट्टो का माइनिंग प्लान, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति, लीज डीड, खनन पट्टों का संचालन दिनांक एवं प्रत्येक खनन पट्टे का जिओ को–आर्डिनेट्स एवं पिलर की स्थिति के सम्बंध में आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला खनन अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा आश्वासन दिया गया कि निरीक्षण के संमय आवश्यक समस्त पत्रों के साथ खनन स्थल पर उपस्थित रहेगें।

जिला खनन अधिकारी, मिर्जापुर को यह भी निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत याचिका में याचिका कर्ता श्री सम्पूर्णानन्द एवं पट्टाधारको को भी निरीक्षण में उपस्थित रहने हेतु सुचना अपने स्तर से अग्रसारित करा दे। जिससे कि निरीक्षण के समय खनन पट्टे के संचालन के सम्बंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।

श्री सम्पूर्णानन्द याचिका कर्ता को उनके दूरभाष नं0 पर व्हाट्सएप मैसेज प्रेषित कर दिया गया है तथा स्थल निरीक्षण के पूर्व दूरभाष पर सूचना दे दी जायेगी।

अंत में विडियों कान्फ्रेसिंग का इस आशय के साथ समाप्ति की घोषणा की गयी कि निर्धारित निरीक्षण तिथि **23.11.2022 से 25.11.2022** तक स्थलीय निरीक्षण संपादित करते हुए अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को यथाशीघ्र प्रेषित की जायेगी।

18/11/22

(डॉ0 टी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी